



पटनाविश्वविद्यालय

सूचना

कृपया ज्ञापांक PU/VC Res/16 दिनांक 13.12.2024 द्वारा निर्गत कार्यालय आदेश (विश्वविद्यालय प्रशासन तथा कर्मचारी संघ के मध्य हुआ समझौता) अंतर्गत कडिका 4(C) का संदर्भ ग्रहण करें।

वैसे शिक्षकेत्तर कर्मियों जिनका शिक्षा विभाग, बिहार सरकार द्वारा वेतन सत्यापन पत्र जारी किया जा चुका है तथा यदि वह उन्हें स्वीकार्य है (अर्थात कोई आपत्ति न हो), को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (ए. सी. पी.) / रूपांतरित सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन (एम. ए. सी. पी.) योजनाओं के लाभ से सम्बद्ध शेष 50% परिणामी बकाया वेतन अंतर राशि भुगतान हेतु अनुमति प्रदान की गई है।

उक्त परिधि में आनेवाले कर्मियों को निदेशित किया जाता है कि उपर्युक्त आशय का आवेदन (सत्यापन पुर्जा पर सम्मति निगमित करते हुए) दिनांक 23.12.2024 तक अनिवार्यतः अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को समर्पित कर देंगे।

कुलसचिव,

पटना विश्वविद्यालय।

ज्ञापांक एसी/स्था./973

दिनांक 20 / 12 / 2024

प्रतिलिपि सूचनार्थ, प्रसार एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित:- (1) सभी संकायों के संकायाध्यक्ष, प0 वि0, (2) सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, प0 वि0, (3) सभी महाविद्यालयों के प्राचार्य, प0 वि0, (4) सभी संस्थानों के निदेशक, प0 वि0, (5) सभी सम्बद्ध इकाईयों के नियंत्री पदाधिकारी, प0 वि0, (6) सभी पदाधिकारी, प0 वि0, (7) सभी प्रशाखा पदाधिकारी, प0 वि0, (8) कुलपति / वित्तीय परामर्शी / कुलसचिव/ वित्त पदाधिकारी के निजी सहायक, प0 वि0 - गार्ड फाइल में संरक्षण हेतु, (9) प्रभारी पदाधिकारी, आइ. टी. सेल, प0 वि0 - आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु, (10) महासचिव, पटना विश्वविद्यालय कर्मचारी संघ / पटना विश्वविद्यालय कॉलेज कर्मचारी संघ एवं (10) सभी नोटिस बोर्ड।

कुलसचिव,

पटना विश्वविद्यालय।

16.12.24